न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए.49 / 2015

पंजीयन दिनांक–03.09.2015

(1). कालूराम पिता पूरण जाति ब्राहम्ण निवासी बामन खेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(2). कमलाशंकर पिता पूरण जाति ब्राहम्ण निवासी बामन खेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(3). संगीता बाई पत्नी पूरण जाति ब्राहम्ण निवासी बामन खेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(4). उदयलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामन खेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

–अपीलान्टगण

बनाम

(1). हजारीलाल पिता मोडा जाति कुमावत निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(2). मांगीलाल पिता मोडा जाति कुमावत निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(3). रतनलाल पिता मोडा जाति कुमावत निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(4). नाथूलाल पिता शिवनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी बामनखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(5). मोहनलाल पिता वाला जाति मेघवाल निवासी बामनखेड़ी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(6). श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

– रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 54 / 2013 निर्णय दिनांक 22.07.2015

उपस्थित वक्त बहस–(1) छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांन्ट
(2) एस.के.ओझा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
(3) पूरणमल स्वर्णकार– श्री राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 17.06.2022**

प्रकरण के तथ्य सक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांटगण / प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा उपरेडा तहसील भदेसर की आराजी सख्या 185 / 1 रकबा 2.05 बीघा, आराजी संख्या 186 / 1 रकबा 2.12

बीघा , आराजी संख्या 185 मीन रकबा 1.04 बीघा स्थित है। उपरोक्त आराजीयात के नजदीक आराजी संख्या 179,178,181,182 जो कि रेस्पोडेन्टगण/विपक्षीगण संख्या 1 से 5 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। रेस्पोडेन्टगण/विपक्षीगण की खातेदारी की उक्त आराजीयात की मेड़ पर 8 फीट चौड़ा रास्ता कदीमी होकर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है, उक्त कदीमी रास्ते से अपीलांटगण प्रार्थीगण अपने बाप–दादाओं के समय से यानि 60–70 सालों से अपनी आराजीयात पर आते–जाते है तथा अपीलांटगण प्रार्थीगण की अपनी आराजीयात पर जाने हेतु यही एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा अपीलांटगण प्रार्थीगण की अपनी आराजीयात पर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तथा उक्त आराजीयात जो कि रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है, यह आराजीयात अपीलांटगण प्रार्थीगण के भाईयों की ही आराजीयात थी तथा प्रार्थीगण के भाई बंधो द्वारा रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को विक्रय कर दी तथा अपीलांटगण प्रार्थीगण उक्त आराजीयात से ही होकर 60–70 सालों से अपनी आराजीयात पर आते–जाते रहे है। दिनांक 10.03.2013 को अपीलांटगण प्रार्थीगण अपनी फसल लाने के लिए रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड आराजीयात में से रास्ते से बैल गाडी व ट्रेक्टर को लाने ले जाने से रोक दिया, तब से वादकारण पैदा हुआ है। अन्त में अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त 60–70 सालों पुराने कदीमी रास्ते को नियमानुसार राशि जमा कर 15 फीट चौड़ा रास्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराया जाकर रास्ता खुलवाया जाने का आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

दिनांक 22.07.2015 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी एवं पर्चा मौका के आधार पर प्रार्थीगण अपीलांटगण के खातेदारी भूमी पर आने–जाने का रास्ता मौके पर होना बताते हुए एवं प्रकरण के प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होना बताते हुए अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण ने यह अपील दिनांक 26.08.2015 को अंदर मियांद पेश की।
अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।
अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा अपील में यह तथ्य अंकित किये गये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया, जिस पर उक्त प्रकरण रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की तामील हेतू नियत था परन्तु रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की किसी प्रकार से तामील नहीं हुई। बिना तामील के ही प्रकरण लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत किया गया व लोक अदालत में विवादित आराजीयात के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिवायी जाकर वैकल्पिक रास्ता होना मानते हुए लोक अदालत में प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी, जिसमें भी पटवारी हल्का ने उक्त आराजीयात के दक्षिणी मेड पर रास्ता होना माना है व उक्त रास्ते को रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण द्वारा बन्द कर दिया जाना बताया । ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात पर रास्ता होना एंव उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं होना प्रमाणित होता है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था,फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया जो कि न्यायोचित नहीं है, साथ ही विवादित आराजीयात जो कि अपीलांटगण प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है वह रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज आराजीयात अपीलांटगण के भाई बंधुओं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
नितौड़गढ़ (राज.)

होकर पूर्व में शामलाती रही है एवं इसी रास्ते से होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण अपने हक व हितो की आराजीयात पर आते–जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा अपीलांटगण प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का कोई ओर वैकल्पिक रास्ता नहीं था। इसके अलावा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में बिना दोनो पक्षो की उपस्थिति के व बिना किसी राजीनामें के किया गया जबकि प्रकरण तामील हेतु नियत था जिसमें बिना साक्ष्य लिये ही गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो कि अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांटगण प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.07.2015 निरस्त किया जाकर अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता कायम कराये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व दस्तावेजो का अवलोकन किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण प्रार्थीगण ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रकरण तामील हेतु नियत था, फिर भी बिना पक्षकारान की सहमति के लोक अदालत में पत्रावली नियत की जाकर निर्णित की गई जो कि लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है। क्योंकि लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह एवं पंचाट से संबंधित है,इस हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पार्ट–2 पेज 975 का मौखिक हवाला दिया गया साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता होना बताकर अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त करने का निर्णित पारित कर दिया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है, अतः अपील अपीलांटगण प्रार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.07.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को विधीसम्मत बताते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड, मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 20.06.2014 की आदेशिका के अनुसार रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की तामील हेतू नियत था, तत्पश्चात दिनांक 20.06.2014 से दिनांक 22.07.2015 तक की अवधी मे नियत विभिन्न तारीख पेशीयों में रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की तामील नही होना अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ठ होता है। दिनांक 22.07.2015 को पत्रावली बिना पक्षकारान को सूचित किए लोक अदालत केम्प में नियत की जाकर बिना पक्षकारान की उपस्थिति व बिना राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबित नहीं होना बताते हुए खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो कि लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि लोक अदालत विशुद्ध रूप से पक्षकारान के मध्य सुलह व राजीनामे से संबंधित है, जो कि माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पार्ट–2 पेज 975 पर अंकित है । अतः अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.07.2015 न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.07.2015 न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ